संख्या-19/2018/ 513/क.नि.प्र./26-3-2018-18(65)98

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 09 अप्रैल,2018

समाज कल्याण विभाग

विषय:- सचिवालय स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु वेतन,भत्तों आदि की स्वीकृति वर्ष 2018-19

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/ बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 61.23 लाख (रू0 इकसठ लाख तेइस हजार मात्र) को निम्नलिखित मदों के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मद	आय-व्ययक प्राविधान	निर्गत धनराशि
1	2	3
01-वेतन	45,26,000.00	45,26,000.00
03-मंहगाई भत्ता	4,53,000.00	4,53,000.00
04-यात्रा व्यय	35,000.00	35,000.00

..2..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

06-अन्य भत्ते	3,50,000.00	3,50,000.00
7-मानदेय	15,000.00	15,000.00
08-कार्यालय व्यय	50,000.00	50,000.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	65,000.00	65,000.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,35,000.00	1,35,000.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	60,000.00	60,000.00
49-चिकित्सा व्यय	70,000.00	70,000.00
51-वर्दी व्यय	15,000.00	15,000.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	3,49,000.00	3,49,000.00
योग-	61,23,000.00	61,23,000.00

(रू0 इकसठ लाख तेइस हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-080-समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793-अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता-04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान" की सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

<u>पृ.संख्या-19/2018/ 513 (1)/क.नि.प्र./26-3-18 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

.3..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-अनुभाग अधिकारी, लेखा,समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन।

5-वित्त (व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-3, उ.प्र.शासन।

6-सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन,लखनऊ।

7-एन.आई.सी. की प्रति।

8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।